

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० 70/2024

1. शिवानी चौधरी पुत्री हंसराज नाबालिग जरिये कुदरती बली माता मूर्ति देवी पत्नी हंसराज जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादीया

बनाम्

1. हंसराज पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. श्रीमान् तहसीलदार राजस्व टिब्बी।
2. श्रीमान् उपपंजीयक महोदय, तलवाड़ा।

प्रतिवादीगण


डिक्री

दिनांक 18/8/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाषगर्ग व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चकनं० 6 एनडीआर के जमाबन्दी संवत् 2075 ता 78 के खाता सं० 65/65 में कुल 4.807 है० में प्रतिवादी सं० 1 हंसराज के नाम से 1/4 हिस्सा में से 0.885 है० आराजी की वादीया शिवानी चौधरी को खातेदार काश्तकार घोषित किया चक नं० 6 एनडीआर के खाता सं० 65/65 में से प्रतिवादी हंसराज का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/8/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




उप(राजस्व) अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।